न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री महेन्द्र लोढ़ा

अपील संख्या 182/14 तारीख रजू– 07/07/14

गुरूकृपाल सिंह पुत्र बहादुर सिंह जाति पंजाबी निवासी शहर सवाई माधोपुर हाल निवासी सी–149 मानसरोवर गार्डन थर्ड फलोर नई दिल्ली। ––अपीलाण्ट

बनाम

1– नरेन्द्र सिंह पुत्र गुरूदेज सिंह जाति सिक्स निवासी बजरिया सवाई माधोपुर हाल निवासी मकान नं0 4 द्वितीय फलोर मील ओल्ड राजेन्द्र नगर नई दिल्ली।

2– जसवीर सिंह पुत्र गुरूवेज सिंह जाति सिक्स निवासी बजरिया सवाई माधोपुर हाल निवासी ओल्ड राजेन्द्र नगर 9/10 ग्राउन्ड फलोर पुलिस थाना राजेन्द्र नगर नई दिल्ली।

निर्णय दिनांक– 27.2.18

अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील तहसीलदार तहसील खण्डार के मु0नं0 13/07 में पारित निर्णय दिनांक 04/02/2014 जिसके द्वारा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट की दादी शाहनी देवी के फोत हो जाने पर उसकी खरीद शुदा आराजी का वसीयत के आधार पर नामान्तकरण खोला गया है तथा अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04/02/2014 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अदालत मातहत की पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होने पर एवं अदालत मातहत की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्षो की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो का वर्णन करते हुए बहस मे निवेदन किया कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टस् की दादी शाहनी देवी की खरीद शुदा आराजी ख0नं0 141/4 व 142/2 कुल रकबा 7 बीधा 7 बिस्बा हिस्सा 1/2 वाके ग्राम छाण में स्थित थी। शाहनी देवी के मृत्यु के पश्चात् उसके स्वामित्व की भूमि में 1/2 हिस्से के अधिकारी अपीलान्ट एवं 1/2 हिस्से के अधिकारी रेस्पों नं0 1 व 2 है। किन्तु रेस्पों0 सं0 1 ने फर्जी वसीयत के आधार पर उक्त निर्णय अधिनस्थ न्यायालय पारित करवा लिया जो निरस्त योग्य है। अपीलान्ट की दादी शाहनी देवी की मृत्यु दिनांक 08/01/92 को ही हो गई थी जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु सवाई माधोपुर द्वारा दिनांक 27/01/1992 को जारी किया गया है। रेस्पों0 द्वारा वसीयत दिनांक 12/02/1992 को निष्पादित होना बताया है जबकि वसीयत कर्त्ता की मृत्यु दिनांक 08/01/1992 को ही हो चुकी है, जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि

अति० जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

मानसरोवर गार्डन थर्ड फलोर नई दिल्ली

उक्त वसीयत फर्जी है। शाहनी देवी ने मृत्यु से पूर्व दिनांक 07/06/1977 को एक रजिस्टर्ड वसीयत की थी जो ही उसकी अन्तिम वसीयत है। इसके अतिरिक्त शाहनी देवी द्वारा कोई वसीयत नहीं लिखी गई उक्त वसीयत में विवादित आराजीयात बाबत् किसी के भी पक्ष में कोई वसीयत नहीं की गई है, साथ ही वकील अपीलान्ट ने अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04/02/2014 निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

विद्वान वकील रेस्पो0 ने दौराने बहस निवेदन किया है कि शाहनी देवी की मूल वसीयत अदालत मातहत की पत्रावली में संलग्न है। उक्त वसीयत के अनुसार नरेन्द्र सिंह पुत्र गुरूवेज सिंह के नाम की है तथा उक्त वसीयत के आधार पर ही तहसीलदार ने नामान्तकरण तस्दीक किया है, जो विधिअनुरूप एवं न्यायोचित है। न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग ,खण्डार जिला सवाई माधोपुर ने भी फर्जी वसीयत व मृत्यु प्रमाण पत्र को नहीं मानते हुए दिनांक 06/07/2010 को हमारे पक्ष में निर्णय किया है तथा अपीलान्ट द्वारा उक्त आदेश की अपील न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) सवाई माधोपुर में की गई। न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) सवाई माधोपुर ने भी हमारे पक्ष में दिनांक 06/07/2011 को निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट द्वारा अपने कथन में शाहनी देवी ने मृत्यु से पूर्व दिनांक 07/06/1977 को एक रजिस्टर्ड वसीयत करना बताया है ,लेकिन अपीलान्ट द्वारा उक्त वसीयत दिनांक 07/06/1977 न्यायालय हाजा में पेश नहीं की जिससे स्पष्ट है कि शाहनी देवी द्वारा 1977 में कोई वसीयत ही नहीं की थी। अपीलान्ट द्वारा वसीयत दिनांक 12/02/1992 फर्जी बताई गई है, यदि उक्त वसीयत फर्जी है तो अपीलान्ट द्वारा फर्जी वसीयत को निरस्त कराने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कराना चाहिए था, साथ ही वकील रेस्पों0 ने अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04/02/2014 यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

विद्वान वकील उभय पक्ष की बहस सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन करने के उपरान्त सर्वप्रथम यह पाया गया कि उक्त अपील का मूख्य आधार शाहनी देवी की वसीयत दिनांक 12/02/1992 के आधार पर अदालत मातहत द्वारा मु0नं0 13/07 में पारित निर्णय दिनांक 04/02/2014 है, जिसके द्वारा शाहनी देवी द्वारा कय शुदा भूमि का नामान्तकरण खोला गया है। उक्त नामान्तकरण वसीयत दिनांक 12/02/1992 के आधार पर खोला गया है। यहां मैं यह भी उल्लेख करना चाहूँगां कि अपीलान्ट द्वारा उक्त वसीयत फर्जी बताई गई है ,इस संबधं में अपीलान्ट को उक्त वसीयत जो कि उनके द्वारा फर्जी बताई गई है को निरस्त कराने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना चाहिए था तथा अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों के साथ–साथ वसीयत कर्त्ता का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न किया है, जिसके अनुसार अपीलान्ट की दादी शाहनी देवी की मृत्यु दिनांक 08/01/92 को ही हो गई थी जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु सवाई माधोपुर द्वारा दिनांक 27/01/1992 को जारी किया गया है, यदि वसीयतकर्त्ता की फोत दिनांक

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

08/01/92 को ही हो गई थी तो वसीयत दिनांक 12/02/1992 मिथ्या प्रतीत होती है, साथ ही उभय पक्षों ने अवगत कराया कि उक्त वसीयत के संबंध में सिविल न्यायालय में भी वाद विचाराधीन है। अतः मेरे अभिमत में अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

अतः हमारे विन्रम अभिमत में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04/02/2014 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार खण्डार को प्रकरण प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त वाद आराजीयात/वसीयत के संबंध में सिविल न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को ध्यान में रखते हुए तथा वसीयत दिनांक 12/02/92 एवं मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 08/01/92 की जांच कर नियमानुसार पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 27.2.18 ----------को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर